وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن
يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ
يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾
* وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن
يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ
ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ
أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ
فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟
عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ

يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

Theme	
There is no restriction on divorcees for remarriage. Commandment of breast feeding the babies. Widows are commanded to wait four months and ten days before remarriage.	तलाक़याफ़्ता औरतों के दोबारा निकाह पर कोई पाबंदी नहीं है। बच्चों को दूध पिलाने का हुक्म। बेवा औरतों को दोबारा निकाह से पहले चार माह दस दिन इंतज़ार करने का हुक्म दिया गया है।
Tarjumani	
When you have divorced women and they have reached the end of their waiting period, do not prevent them from marrying their prospective husbands if they have come to an honorable agreement. This is enjoined on everyone amongst you who believes in Allah and the Last Day. This is more virtuous and chaste for you; Allah knows what you do not know. The mothers shall breast-feed their offspring for two whole years if the father wishes the breast-feeding to be	जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ दे चुके और वे अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो फिर इसमें मानेअ न हो कि वे अपने ज़ेरे-तजवीज़ शौहर से निकाह कर लें जबकि वे मारुफ़ तरीक़े से बाहम मुनाकिहत पर राज़ी हों	तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज़ न करना, अगर तुम अल्लाह और रोज़े-आख़िर पर ईमान लानेवाले हो	तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है कि इससे बाज़ रहो	अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते	जो बाप चाहते हों कि उनकी औलाद पूरी मुद्दते-रिज़ाअत तक दूध पिए तो माँए अपने बच्चों को

completed. The reasonable cost of their maintenance and clothing will be the responsibility of the child's father. No one should be charged with more than they can afford. Neither a mother should be made to suffer on account of her child nor a father on account of his child. The father's heirs are under the same obligation. But, if with mutual agreement, they both decide to wean the child there is no blame on them. If you decide to have a foster-mother for your offspring, there is no blame on you, provided you pay what you have promised to pay in an honorable manner. Fear Allah and beware that Allah observes your actions. As for those of you who die and leave widows behind, let the widows abstain from marriage for four months and ten days: when they have reached the end of this period. there is no blame on you for what they do for themselves in a decent manner. Allah is	कामिल दो साल दूध पिलाए	इस सूरत में बच्चे के बाप को मारुफ़ तरीके से उन्हें खाना-पकड़ा देना होगा	मगर किसी पर उसकी वुसअत से बढकर बार न डालना चाहिए	न तो माँ को इस वजह से तकलीफ़ में डाला जाए कि बच्चा उसका है, और न बाप ही को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा उसका है – दूध पिलानेवाली का यह हक़ जैसा कि बच्चे के बाप पर है, वैसा ही उसके वारिस पर भी है – लिकिन अगर फरीकैन बाहमी रजामन्दी और मशविरे से दूध छुड़ाना चाहें, तो ऐसा करने में कोई मुज़ायका नहीं	और अगर तुम्हारा ख़याल अपनी औलाद को किसी गैर-औरत से दूध पिलवाने का हो, तो उसमें भी हरज नहीं, बशर्ते कि उसका जो कुछ मुआवज़ा तय करो, वह मारुफ़ तरीके पर अदा करो	अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो, सब अल्लाह की नज़र में है तुममें से जो लोग मर जाएँ, उनके पीछे अगर उनकी बीवियाँ जिन्दा हों, तो वे अपने आप को चार महीने, दस दिन रोके रखें	फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए, तो उन्हें इखतियार है, अपनी ज़ात के मामले में मारुफ़ तरीक़े से

aware of what you do. There is no blame on you, if you make a hint of marriage proposal during their waiting period openly or keep it in your hearts. Allah knows that you will naturally cherish them in your hearts; however, be careful not to make any secret agreement except that you speak to them in an honorable manner. Do not confirm the marriage tie until the prescribed waiting period expires. You should know that Allah is aware of what is in your hearts, so fear Him. Bear in mind that Allah is Forgiving, Forbearing.	जो चाहें करें | तुमपर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं | अल्लाह तुम सबके आमाल से बाख़बरहै | ज़मानए-इद्दत में खाह तुम उन के बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे-कानाए में ज़ाहिर कर दो, खाह दिल में छिपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई मुजाइका नहीं | अल्लाह जानता है कि उनका ख़याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही | मगर देखो, ख़ुफ़िया अहदो-पैमान न करना | अगर कोई बात करनी है तो मारुफ़ तरीक़े से करो | और अक्दे-निकाह बाँधने का फ़ैसला उस वाक्त तक न करो जब तक कि इद्दत पूरी न हो जाए | ख़ूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है | लिहाज़ा उससे डरो और यह भी जान लो कि अल्लाह बुर्दबार है (छोटी-छोटी बातों से) दरगुज़र फ़रमाता है |
Tafsir	